

विज्ञापन संख्या : 10/परीक्षा/प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा)/माध्यमिक शिक्षा/2018-19

दिनांक : 13.04.2018

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाई तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त/आरक्षित पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है।) की संख्या निम्नानुसार है :-

Sr. No.	Subject	No. of Post(s)	Gen.				S.C.				S.T.				OBC				SBC				P.H.		
			Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	B/LV	HI	LD/CP
<b>प्राध्यापक छात्र संस्थाएं (अनुसूची प्रथम के अनुसार)</b>																									
1	भूगोल	782	276	78	31	8	88	25	10	2	66	18	7	2	115	33	13	3	5	2	0	0	12	0	12
2	अर्थशास्त्र	129	47	13	5	1	14	4	2	0	11	3	1	0	19	6	2	0	1	0	0	0	2	0	2
3	पंजाबी	15	7	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4	राजस्थानी	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	लोक प्रशासन	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	समाज शास्त्र	32	13	4	1	0	4	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	चित्रकला	40	16	4	2	0	5	1	0	0	3	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	संगीत	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	इतिहास	613	216	62	24	6	69	20	7	2	52	14	6	1	90	26	10	2	5	1	0	0	10	0	9
10	वाणिज्य	118	43	12	5	1	13	4	1	0	10	3	1	0	17	5	2	0	1	0	0	0	2	0	2
11	जीव विज्ञान	166	61	17	6	2	19	5	2	0	14	4	1	0	24	7	2	1	1	0	0	0	0	0	5
12	रसायन	160	58	16	6	2	18	5	2	0	14	4	1	0	24	6	2	1	1	0	0	0	0	0	5
13	गृह विज्ञान	54	21	6	2	0	6	2	0	0	5	1	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1
14	हिन्दी	849	299	86	34	8	95	27	10	3	71	20	8	2	125	36	14	3	6	2	0	0	13	0	13
15	राजनीति विज्ञान	815	287	82	32	8	91	26	10	3	68	20	7	2	120	34	14	3	6	2	0	0	13	0	12
16	भौतिक	187	68	19	7	2	21	6	2	0	16	4	2	0	28	8	2	1	1	0	0	0	0	0	6
17	कृषि	370	131	38	14	4	42	12	4	1	31	9	3	1	54	16	6	1	3	0	0	0	6	0	6
18	गणित	193	70	20	7	2	21	6	2	1	17	4	2	0	28	8	3	1	1	0	0	0	0	0	6
19	अंग्रेजी	304	108	31	12	3	34	10	3	1	26	7	2	1	45	12	5	1	3	0	0	0	5	0	5
20	संस्कृत	156	57	16	6	2	17	5	2	0	13	4	1	0	23	6	2	1	1	0	0	0	3	0	2
			1789	509	194	49	559	159	57	13	421	116	42	9	737	208	78	18	35	7	0	0	70	0	86

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (प्राध्यापक-चित्रकला के अतिरिक्त समस्त पदों के लिये) :-

- सरकार द्वारा मान्य शिक्षा स्नातक (बी.एड.) और सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य कोई अन्य अर्हता।  
**नोट:-** उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।  
**प्राध्यापक-गृह विज्ञान हेतु उपरोक्त योग्यता के अतिरिक्त निम्नलिखित नोट भी लागू होगा :-**  
 "If required number of candidate are not available. In case Post Graduate in Home Science are not available than Graduate with Degree or Diploma in Education with 5 years experience of teaching Home Science of the standard of Secondary or Higher Secondary Class shall be eligible for the post of Senior Teacher in Home Science (preferable B.Sc. with Home Science) Graduates with Home Science will also be eligible if they are Post Graduate in any other subject but with Degree or Diploma in Education."  
**प्राध्यापक-चित्रकला हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-**  
 Post Graduate Degree in Drawing or equivalent exam. recognised by Govt. **OR** Graduate with 5 yrs. experience of teaching Drawing in a recognised institution **OR** Diploma of 5 years duration in Arts of any School/College of Arts recognised by Government.
- (सभी विषय पदों हेतु) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।
- आयु :- दिनांक 01.07.2018 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।
- वेतनमान :- Pay Matrix Level (L-12)

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र. सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3.	सामान्य वर्ग की महिला	5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य
		पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

- भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर **Substantive** रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।  
 The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.
- अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।  
 The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
- इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।  
 That the persons appointed temporarily (to a post in the service) shall be deemed to be within the age limit if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.
- राजस्थान राज्य के कारोबार में **Substantive** रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।  
 The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity shall be 40 years.
- कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।  
 The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C., in the case of cadet Instructor if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
- निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।  
 The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
- पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में **Substantive** रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।  
 The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of panchayat samities and zila parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.
- राज्य कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय होगी।  
 The upper age limit shall be relaxed by 5 years in the case of Government Servant of Rajasthan

<b>नोट –</b>
(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
(2) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे – आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्रूटियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा।
(3) प्राध्यापक-पंजाबी, कृषि एवं लोक प्रशासन के अतिरिक्त अन्य पद आयोग द्वारा वर्ष 2015 में विज्ञापित किये गये थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.07.2016 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में <b>एक वर्ष की छूट</b> देय होगी एवं प्राध्यापक – पंजाबी, कृषि एवं लोकप्रशासन के पदों हेतु <b>तीन वर्ष की छूट देय होगी।</b>
(4) अन्य विशिष्ट श्रेणियों में आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

<b>अन्य विवरण</b>	
<b>अनेक पदों के लिए आवेदन-</b>	यदि कोई अभ्यर्थी प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से जमा कराना होगा और प्रत्येक के लिए पृथक आवेदन पत्र भी भरना होगा, किन्तु दूसरा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर Yes क्लिक करें और तदुपरान्त उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से प्रथम आवेदन-पत्र का आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित करें। आयोग द्वारा उक्त सभी पदों के लिये प्रथम प्रश्न-पत्र की एक ही परीक्षा कराई जा सकती है और ऐसी स्थिति में केवल द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु उन्हें पृथक-पृथक परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा आवेदन पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है, तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Rejected) कर दिया जाएगा।
<b>चयन प्रक्रिया</b>	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
<b>परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम</b>	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
<b>आवेदन अवधि</b>	दिनांक 17-05-2018 से दिनांक 16-06-2018 रात्रि 12-00 बजे तक।
<b>आवेदन प्रक्रिया</b>	1. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट <a href="http://rpsc.rajasthan.gov.in">http://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध apply online Link को Select कर एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लॉगिन कर Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा। 2. Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। 3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा। 4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। 5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।
<b>ऑनलाइन संशोधन</b>	ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 17-06-2018 से दिनांक 23-06-2018 रात्रि 12-00 बजे तक।

<b>परीक्षा योजना</b>	<b>Scheme of examination and syllabus for the post of School Lecturer</b>		
	(1) The competitive examination shall carry 450 marks. (2) There will be two papers. Paper I shall be of 150 marks and Paper II shall be of 300 marks. Duration of Paper I shall be One and a Half hours and the duration of Paper II shall be Three hours. (3) All the question in both the Papers shall be Multiple Choice Type questions. (4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted. Explanation:- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers. (5) Subjects included in both the papers and the marks given to them are shown in the tables below:		
<b>Paper-I General awareness and General Studies Duration: 1 Hour and 30 minutes</b>			
<b>S.No.</b>	<b>SUBJECT</b>	<b>No. of Questions</b>	<b>Total Marks</b>
1	History of Rajasthan and Indian History with special emphasis on Indian National Movement	15	30
2	Mental Ability Test, Statistics (Secondary Level), Mathematics (Secondary Level), Language Ability Test : Hindi, English	20	40
3	Current affairs	10	20
4	General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan	15	30
5	Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right to Education Act, 2009	15	30
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>150</b>
<b>Paper-II Subject Concerned Duration: 3 Hours</b>			
<b>S.No.</b>	<b>SUBJECT</b>	<b>No. of Questions</b>	<b>Total Marks</b>
1	Knowledge of Subject Concerned: Senior Secondary Level	55	110
2	Knowledge of Subject Concerned: Graduation Level	55	110
3	Knowledge of Subject Concerned: Post Graduation Level	10	20
4	Educational Psychology, Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and Information Technology in Teaching Learning.	30	60
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>300</b>

**विशेष नोट :-**

- अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाइन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 7 दिवस की ऑनलाइन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

**विशेष सूचना :-** "यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

**अन्य बिन्दु व सूचना :-** परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित परीक्षाार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)  
सचिव